

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-सरगुजा (छ0ग0)

निविदा आमंत्रण हेतु सूचना (संशोधित)

विज्ञप्ति क्रमांक/पुअ/सर/एसी-1/निविदा/ 42 /2017

अम्बिकापुर, दिनांक 30/01/2017

इस कार्या0 के विज्ञप्ती क्र./पुअ/सर/एसी-1/21/17 दि0 20.01.17 के द्वारा जारी निविदा प्रकाशन के तिथियों में आवश्यक संशोधन कर निचे दैर्शित तिथिनुसार छत्तीसगढ़ शासन के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से प्रपत्र "अ" में प्रतिशत दर पर छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी भवन कार्य के एस.ओ.आर. 01/01/2015 के आधार पर निम्नलिखित तिथि को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।


निविदा कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 01. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि | — | 08.02.2017 (सायं 05 बजे तक) |
| 02. निविदा प्रपत्र कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि | — | 13.02.2017 (सायं 05 बजे तक) |
| 03. निविदा खुलने की तिथि | — | 14.02.2017 (अपराह्न 02 बजे) |
| 04. अमानत राशि टी.डी.आर. के रूप में | — | 3000/- प्रत्येक |
| 05. निविदा प्रपत्र का मूल्य | — | 750/- प्रत्येक |
| 06. सक्षम ठेकेदार | — | 'अ' वर्ग या ऊपर के श्रेणी |
| 07. कार्य पूर्ण करने का समय | — | 03 माह |

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख में)
01	पुलिस अधीक्षक कार्या0, अम्बिकापुर में 01 सेट महिला विश्रामकक्ष मय टायलेट/बाथरूम निर्माण	04.00
02	रक्षित केन्द्र अम्बिकापुर में 01 सेट महिला विश्रामकक्ष मय टायलेट/बाथरूम निर्माण	04.00
03	थाना उदयपुर में 01 सेट महिला विश्रामकक्ष मय टायलेट/बाथरूम निर्माण	04.00
04	थाना सीतापुर में 01 सेट महिला विश्रामकक्ष मय टायलेट/बाथरूम निर्माण	04.00
05	थाना गांधीनगर में 01 सेट महिला विश्रामकक्ष मय टायलेट/बाथरूम निर्माण	04.00
06	थाना दरिमा में 01 सेट महिला विश्रामकक्ष मय टायलेट/बाथरूम निर्माण	04.00

निविदा संबंधी मुख्य शर्त :-

01. निविदा प्रपत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ ठेकेदारी पंजीयन, वाणिज्य कर चुकता प्रमाण-पत्र, बैंक सालवेन्सी (जो 12 माह से अधिक पुराना ना हो) प्रमाण पत्र, श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण-पत्र, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र (जो 06 माह से अधिक पुराना ना हो जिनका पंजीयन राजस्व शोध क्षमता के आधार पर है।) की छायाप्रति प्रस्तुत करें एवं मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करावें अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं की जावेगी।
02. कार्य में लगने वाले खनिज का रायल्टी चुकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, 5% सुरक्षा राशि के अतिरिक्त 5% परफारमेंस गारंटी जमा रखी जायेगी, ठेकेदार को निर्माण कार्य से संबंधित भुगतान किये जाने वाले देयकों से निर्माण लागत का 1% भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत काटी जावेगी। आबंटन की उपलब्धता पर भुगतान किया जावेगा।
03. आमंत्रित निविदा को निरस्त एवं अमान्य करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।


पुलिस अधीक्षक
सरगुजा